का विभाग

्राज्योस क्रियः विषयः—

प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरूद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस. एल.पी.प्रस्तुत करने बावत्।

पंजी क0 3616 दि0 16.09.2015

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म०प्र० भोपाल से प्राप्त दिनांक 14.09.2015 द्वारा कार्यपालन यंत्री, खंड उज्जैन के प्रस्तावानुसार प्रकरण की संक्षेपिका, पारित निर्णय की प्रति एवं शासकीय अधिवक्ता के मत की प्रति संलग्न कर प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म०प्र०शासन विरुद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर करने की अनुमति प्रदान करने तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का निवेदन किया गया है।

3/ प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता द्वारा एस.एल.पी. दायर करने की आवश्यकता नहीं है, का अभिमत दिया गया है। किन्तु इसी प्रकार के एक अन्य प्रकरण चांदी प्रसाद उनियाल व अन्य विरुद्ध उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के प्रकरण एस.एल.पी. (सिविल) क. 5899/2012 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2012 में त्रुटिपूर्ण वेतनमान निर्धारण से अधिक भुगतान की वसूली याचिकाकर्ता के वेतन से बारह एक समान किश्तों में वसूल करने आदेशित किया गया है।

4/ प्रकरण कार्यभारित हैण्डपंप तकनीशियनों को नियुक्ति दिनांक से त्रुटिवश नियमित स्थापना के हैण्डपंप तकनीशियन को देय वेतनमान प्रदान किया गया था जिसकी वसूली खंड कार्यालय द्वारा की जा रही थी, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदोर में रिट याचिका प्रस्तुत कर वसूली नहीं करने का निवेदन किया गया है।

5/ अतः उपरोक्त कंडिका 3 के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियंता द्वारा प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर करने की अनुमति प्रदान करने तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त जाने हेतु प्रकरण आदेशार्थ

प्रस्तुत है। अनुश्अधि0

विशे कुपया उपयोक्त कीप तथा हांतर से प्राप्त प्रकाश कर अवलावर करना पार्ट के सक्तासमा "A" प्रकाश करें अभाव करना पार्ट के सक्तासमा पर्या अस्ताश करना पर्या करना पर्या करना करना पर्या करना प्रमुख्या

454

PTO

"A" P-128/

P-110/

3 mis 21911

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

विषय:-

प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरूद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालय में एस.एल.पी.प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

१प्या एवं ४७६ पर प्रस्तुत टीप तथा शाखा के प्रस्ताव का अवकोक्त करना पार्टेंगे लाया A' को भुमोरित करना यार्टेंगे।

PS is

मान मंत्रीजी

Watar Ni.

Jet -

विकारी अस्तिम् अपना अपनाम्बर्धाः

अधिवनी कुमार राय प्रमुख सचिव,लो.स्वा.यां.वि.

पशुपालन , उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मुख्या जाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मुख्या कल्याण तथा मत्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोबीए, मुख्या कल्याण तथा मत्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोबीए, मुख्या कल्याण तथा मत्य विकास, व्यास्थ्य यात्रिकी (म.प्र.) किंव और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी

02/×115

03.10.20

5mi Bais

शाकेमुधी- 196- उनिशाकेमुधी- 17-7-15-5,00,000.

छब्बीस-२ सि-्रालय

विषयः विषयः-

प्रकरण क्रमांक आर्.पी. 393/2014 म०प्र०शासन का विभाग श्री विक्रम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी.प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर विधि विभाग द्वारा जारी अनुमति के अनुक्रम में प्रकरण के प्रभारी अधिकारी निर्देशित किये जाने प्रारूप मय स्वच्छ प्रति के अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

अज्ञाध0

D. Signismal]

Quithj8/11/15

कामिशका महाक

छब्बीस-२ सचिद्व-दय

विषय:

प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरूद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी.प्रस्तुत करने बावत्।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

क.जी प्रकाश्यार्थ प्रत्य है।

300

50

पंजी क0 653 दि0 12.02.2016

कृपया विचाराधीन प्रत्न का अवलोकन करें 96.6) ने 6
2/ प्रिमुख अभिवंता, लीक स्वीस्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त दिनांक 11.02.2016 द्वारा श्री अर्जुन गर्ग, स्थाई अधिवक्ता के अभिमत की प्रति संलग्न कर लेख किया गया है कि प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरुद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर करने की अनुमति विधि विभाग के पत्र दिनांक 10.11.2015 प्रदान की गई थी। प्रभारी अधिकारी कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन के पत्र दिनांक 15.01.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकरण में शपथ पत्र प्रस्तृत कर दिया गया है।

3/ श्री अर्जुन गर्ग, स्थाई अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.12.2015 द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 385/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरुद्ध एस.एल.पी.दायर करने का मत दिया गया है।

4/ प्रमुख अभियंता द्वारा स्थाई अधिवक्ता के अभिमतानुसार रिट अपील क्रमांक 385/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

D 06.01-16 ShriBair

P-148/0

P-128/c

P-137/c

P-149/2

P-151/2

P-154/c

P-154/2

3531051phs

लो. स्वा. याँ. वि.

Brow 15/2/14

चन्बीस-२ सचिवालय

विषधिषय:-

प्रकरण क्मांक आर.पी. 393/2014 म०प्र०शासन विरुद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस. एल.पी.प्रस्तुत करने बावत।

पूर्व पृष्ठ से:-अतः प्रकरण में स्थाई अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अभिमतानुसार प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तावित रिट पिटीशन क्रमांक 385 / 2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2014 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर करने की अनुमति प्रदान करने तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त जाने हेतु प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अनु०अधि०(अव-पर)

अवर्षिन येव हरू त. श्रामामा हात भी इंडिन-। मिप का ह. इक्कारन काम मार्टिमी ला रतिका में हम, मान्यात क इम्प्रह्मान्।

16/2/16

Questo

(डॉ. अमिताम विकित्य)। 6 छप सविव, धी.एच.ई. -

अश्वनी कुमार राय

प्रमुख सचिव,लो.स्वा.यां.वि. पशुपालन, उद्यानिकी त^{ेश जा**र्च प्रसंस्करण** महुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं आगेटीग्,}

विश्व और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य मांत्रिकी (म.प्र.)

26/02/16

शाक्ष्याने - १९५ - इंटर क्रियाने - १७-१ - १ - १ अ ०००

0

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

विषय:-

प्रकरण कमांक आर.पी. 393/2014 म0प्र0शासन विरूद्ध श्री विकम सिंह मालवीय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी.प्रस्तुत करने बावत्।

पूर्व पृष्ठ से:-

वा याँ वि.